दैनिक
न्याय साक्षी

दहेज पीड़िता के सम्बंध में थाना चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाही चिन्तनीय

» पीड़िता की शिकायत को किया गया नजर अंदाज, » पीड़िता के विरुद्ध धारा 97, 98 की कार्यवाही से पीड़िता और परिवार हुआ परेशान

न्याय साक्षी/रायगढ़। विवाह के पश्चात् ससुराल पक्ष और निक्कमे शराबी पति की नियमित प्रताड़नाओं से परेशान होकर अपने मायके आ चुकी दुधमुहे बच्चे की माता पीड़िता अब अपने विरुद्ध हो रही अन्यथा विधिक कार्यवाहियों से परेशान हो रही है। इस सम्बंध में न्यायसाक्षी को दी गई जानकारी के सापेक्ष में आपको बता दें कि पीड़िता एवं उसके पिता के द्वारा दिनॉक 05/10/2019 को थाना चक्रधरनगर में एक लिखित शिकायत दी थीं, जिसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पूर्व दिनॉक 03/09/2019 को थाना बिलाईगढ़ में भी एक शिकायत प्रस्तुत की गई जिसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इन सबके बाद आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलाईगढ़ के समक्ष धारा 97-98 जा.फौ. के तहत् पीड़िता के पति ने आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर थाना प्रभारी थाना बिलाईगढ़ कार्यवाही करने को इतना तत्पर हो गए कि पीड़िता के पति के साथ ही पुलिस पीड़िता के घर आ गई। जिसमें थाना चक्रधरनगर को भी सूचित किया गया और वहॉ के पुलिसवाले भी साथ में आए, जबकि पीड़िता को मार-पीट कर दहेज आदि के लिए घर से निकाले जाने की सूचना दोनों थाना को थीं।

तर्कहीन पुलिसिया कार्यवाही?

न्याय प्राप्ति का प्रयास कर रही महिला के विरुद्ध असंगत एवं तर्कहीन पुलिसिया कार्यवाही का यह बेहद गम्भीर मामला है। स्पष्ट है कि, पीड़िता की पूर्व शिकायत चुंकि नजरअंदाज की गई अतः उसके विरुद्ध धारा 97- 98 की कार्यवाही हुई, जिससे पीड़िता का पूरा परिवार नाहक परेशानी में पड़ गया। जबकि पीड़िता की गुमशुदगी की झूठी सूचना देने वाले उसके पति एवं ससुरालपक्ष के विरुद्ध अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई जो कि चिन्ता विषय है। इस कारण पीड़िता के पति एवं परिवार के द्वारा पीड़िता एवं उसके मायकापक्ष के ऊपर दबाव बनाने का असफल प्रयास दिखाई दिया। हालांकि जल्दी ही मीडिया कर्मियों और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव के हस्तक्षेप के बाद परिस्थियां बदल गई। पीड़िता के पति के साथ बिलाईगढ़ से आई पुलिस के समक्ष घटना क्रम का खुलासा हुआ। जिसमें प्रारम्भिक तौर पर पीड़िता के निकम्मा पति किशन कुमार देवांगन की गलतियां पाई गई। बहरहाल न्यायिक दंडाधिकारी के बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के आदेश पर पुलिस पीड़िता को स-सम्मान न्यायालय ले गई, जहां पीड़िता का बयान दर्ज किए जाने की कार्यवाही वांछित थी। लेकिन फिर भी इस सम्बंध में गूढ प्रश्न यही है कि पीड़िता की शिकायत पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

दुधमुहें बच्चे को लेकर भी भाग चुका है पीड़िता का पति

दिनॉक 30/8/2019 को तरुणा को घर से निकल दिए थे और वो अपने मायके रायगढ़ मालीडिपा में रह रही थी, तब 1/9/2019 को उसका पति किशन देवांगन चुपके से आया और बच्चे को उठा के ले भागा, जिसकी सूचना थाना चक्रधरनगर में तरुणा के पिता द्वारा दी गई थी। तब समाज के कहने पर तरुणा को उसके पिता बिलाईगढ़ छोड़ के आए, तब भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और गालीगलौच की गई थीं। दिनॉक 3/10/2019 को जब दशहरा के लिए लेने गए तब तरुणा और उसके पिता के साथ खूब गली-गलौच किया गया और कहा गया कि तरुणा को ले जाओ और बच्चे को यही छोड़ जाओ हमे तरुणा की जरूरत नही है, तब बिलाईगढ़ थाना में आनन-फानन में सूचना दी गई और किसी प्रकार रायगढ़ आए। दिनॉक 4/10/2019 को किशोर देवांगन और उसकी माँ रायगढ़ आए और गली-गलौच किए और बच्चे को ले जाने की जिद पकड़ लिए, कहा कोर्ट जाओ या थाना हम बच्चे को ले के जाएँगे, तरुणा को नही रखेंगे, तब तरुणा के पिता शाम 6 बजे थाना गए, लेकिन थाना चक्रधरनगर की लचर कार्यवाही से अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका है।

थाने में किये शिकायत को बीत चुका है डेढ माह?

घटना के सम्बद्ध में मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिला मुख्यालय के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के मालीडीपा बोईरदादर की रहने वाली पीड़िता तरुणा देवांगन ने अपने पति किशन देवांगन और ससुराल पक्ष के विरुद्ध शारीरिक मानसिक और आर्थिक यातना देने की लिखित शिकायत थाना चक्रधरनगर में की थीं, जिसपर आज दिनॉक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्यों ? का जवाब केवल थाना चक्रधरनगर के पास ही है। वैसे शिकायत में पीड़िता ने पुलिस से दोषी ससुराल पक्ष के विरुद्ध न्यायोचित दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है, जिसपर अब तो डेढ महीना बीत चुका है।

क्या है मामला?

मालीडीपा की तरुणा देवांगन द्वारा यह शिकायत की गई है कि उसका पति किशन देवांगन जो बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार में रहता है, उसके और उसके परिवार द्वारा लगातार शादी के बाद से ही मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता रहा और यह कहा जाता की दहेज में कुछ नही लाई है और मारपीट करते है, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नही देते और खाना तक ठीक से नही देते, कहते सब के खाने के बाद जो बचेगा वो खा। तरुणा का परिवार बेहद गरीब है और उसके परिवार वाले रोजी मजदूरी कर के गुजर बसर करते है। 16.11.2018 को तरुणा ने पुत्र को जन्म दिया जिस समय तरुणा की सास ने कहा कि इस बच्चे को यही रहने दे और तू अपने मायके चली जा, हम तुम्हे नही रखेंगे काफी विरोध करने और कहने पर कि बच्चे को माँ के दूध की आवश्यकता है, तब माने। ससुराल पक्ष ने कहा कि अस्पताल से छुट्टी के लिये अपने मायके से तीस हजार मंगवा नही तो यहाँ से भाग जा, इससे पहले भी तरुणा को तीन बार घर से निकाल चुके है, जिसपर पीड़िता के मायके वाले समझा-बुझा के वापस ससुराल भेजते रहे हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

बरमकेला व सरिया पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ा महुआ शराब

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सरिया प्रभारी प्रशिक्षु डी0एस0पी0 जितेंद्र कुमार चंद्रवशी एवं हमराह स्टाफ द्वारा ओडिसा तरफ से पैदल कावंर में दोनो तरफ प्लास्टिक बोरी बांध कर शराब लेकर आते हुए दशरथ निषाद पिता जगतराम निषाद साकिन बडे नावापारा थाना सरिया को पकड़े। आरोपी से 27 लीटर अवैध हाथ भठ्ठी महुआ शराब किमती 5400 रूपये जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना सरिया में धारा 34(1)क (2), 59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है।

जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2019-20 हेतु जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ यशवंत कुमार, सदस्य सचिव-उप संचालक जनसंपर्क डॉ.उषा किरण बड़ाईक तथा सदस्य-श्री विनोद सिंह सोमवंशी संपादक दैनिक भास्कर होंगे। यह समिति आचार संहिता लागू होते ही प्रभावशील हो जायेगी।

जिला न्यायालय में भृत्य के पदों पर भर्ती के लिए कौशल परीक्षण 24 नवम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ द्वारा सामान्य स्थापना में रिक्त भृत्य के नियमित 2 पद के लिए 5723 अभ्यर्थी एवं भृत्य नैमेत्तिक के 4 पदों के लिए 2135 आवेदन आए है। उपरोक्त पदों के लिए 24 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षण आयोजित किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को थाना चक्रधर नगर जिला रायगढ़ के पीछे स्थित मिनी स्टेडियम में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में अपने कौशल योग्यता व अनुभव का फार्म जमा कर टोकन लेना होगा। जिसके पश्चात टोकन नंबर के अनुसार जिला न्यायालय में कौशल परीक्षा संपन्न होगी। यह पूरी प्रक्रिया प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी तथा प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक व पुलिस बल भी तैनात रहेगा। जमा की जाने वाली जानकारी के लिए निर्धारित प्रारूप वाला फार्म जिला न्यायालय की वेबसाईट ecourts. gov.in / raigarh में उपलब्ध है।

डेंगू से बचने छात्र-छात्राओं को सतर्कता बरतने के निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिले में डेंगू के प्रकोप की संभावना को देखते हुए डेंगू से बचाव के लिए विशेष रूप से आवश्यकता बरतने की आवश्यकता है। डेंगू के मच्छर से बचाव हेतु हाथ एवं पैर ढके होना चाहिए। विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को फुल स्लीब्स की शर्ट, कुर्ता एवं फुल पेंट, सलवार पहनने हेतु आदेशित किया जाता है। जिन विद्यालयों की यूनीफार्म पूर्व से उक्तानुसार है वे यथावत रखें। जिन विद्यालयों के यूनीफार्म में फुल स्लीब्स एवं फुल पेन्ट नहीं है, वहां छात्रों को यूनीफार्म के अंदर फुल स्लीब्स व फुल पेन्ट के इनर पहनने हेतु निर्देशित करें। विद्यालय परिसर में स्वच्छता रखें, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते है। अतएव कही भी पानी जमा न होने दें। गमलों, कूलर की टंकी आदि में रूके जमे पानी के ऊपर टेमिफॉस का छिड़काव करें। एक घंटे बाद पानी को सूखी मिट्टी वाले स्थान में डालकर नष्ट करें। किसी अन्य जल स्त्रोत जैसे नाली, तालाब इत्यादि में ना फेंके।

खरसिया गोलीकांड के 3 आरोपी उत्तर प्रदेश से हुए गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले के थाना खरसिया अंतर्गत वर्ष 1991 में खुलेआम गोली चलाकर हत्या करने वाले आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया था जिस पर आरोपीगण 9 साल तक जेल में निरुद्ध थे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आरोपियों के दंड को कम किया गया। आरोपीगण माननीय न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं होने से आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर थाना कोतवाली रायगढ़ को 29 नवंबर के पूर्व न्यायालय प्रस्तुत करने का निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एस.एन. सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को वारंटियों की पतासाजी/वारंट तामिली के लिए टीम दिगर प्रांत भेजने की अनुमति प्राप्त कर थाने से सहायक उपनिरीक्षक देव प्रसाद चौहान व आरक्षक सतीश सिंह को आरोपियों के सकुनत रवाना किया गया जहां थाना कोतवाली के दोनों स्टाफ ने अपनी सूझबूझ से तीन शातिर वारंटियों को लेकर रायगढ़ आए जिन्हें आज रायगढ़ न्यायालय में पेश किया गया है।

इन वारंटियों केविरूद्ध जारी किया गया था वारंट -

1. कालू पिता छोटेलाल कुर्मी 23 वर्ष निवासी मलकिया थाना सराय जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेशद्ध।
2. जगदीश पिता राम बहादुर कुर्मी उम्र 31 साल निवासी कजिया थाना नवाबगंज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
3. छेदीलाल पिता बजरंग बिंद उम्र 24 साल निवासी कजिया थाना नवाबगंज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।

कलेक्टर निरीक्षण में शिवानी बायोटेक गोदाम में 2865 क्विंटल धान का अवैध भण्डारण

» प्रदेश में एक ही स्थान पर अवैध धान जप्ती की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने धान के अवैध भण्डारण के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के तहत रायगढ़ जिले में पुसौर विकासखण्ड के डुमरमुड़ा स्थित शिवानी बायोटेक का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान शिवानी बायोटेक के गोदाम में 7318 बोरी जिसमें 2865 क्विंटल धान का अवैध भण्डारण पाया गया। प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में किसी एक ही व्यापारी के पास अवैध धान का भण्डारण मिला। साथ ही रायगढ़ फूड एवं होटल बिजनेस में छापामार कार्यवाही में 1005 बोरी में भरा 402 क्विंटल धान जप्त किया गया। उक्त मामलों में मण्डी एक्ट तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

भालूनारा के विद्यार्थियों का किया गया निःशुल्क नेत्र परीक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह के तहत खरसिया विकासखण्ड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भालूनारा में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया और नेत्र चिकित्सकों द्वारा विद्यार्थियों को नेत्र सुरक्षा संबंधी उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

शराब तस्करी करते बोलेरो वाहन सहित आरोपी गिफ्तार

» बरमकेला पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक डी.के. मारकण्डे के नेतृत्व में दिनांक 21/11/19 को थाना बरमकेला के सउनि विजय गोपाल एवं हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम लेंध्रा लक्ष्मीनारायण कर्ष के होटल के सामने मेन रोड पर मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बोलेरा वाहन जिसमें हमारा उद्देश है आपका सेवा करना लिखा है उसमें शराब की तस्करी की जा रही है। रेड कार्यवाही में एक सफेद बोलेरो क्रं. सीजी 13 एक्स -3908 में आरोपी विजय सिदार पिता भागीरथी सिदार 32 साल निवासी कालाखूंटा थाना डोंगरीपाली शराब लेकर आते पकड़े जिसके पास से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 8000 व बोलेरो गाड़ी जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना बरमकेला में धारा 34(1)क (2), 59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है।

पंचायतों के सरपंच पद की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न

» 774 ग्राम पंचायतों का लॉटरी के माध्यम से किया गया आरक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले के ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया लॉट निकालकर पूर्ण की गई। जिसके तहत रायगढ़ विकासखण्ड के कुल 84 ग्राम पंचायतों में 6 पद अनुसूचित जाति महिला, 6 पद अनुसूचित जाति मुक्त, 12 पद अनुसूचित जनजाति महिला, 12 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त, 11 पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 10 पद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त, 14 पद अनारक्षित महिला तथा 13 पद अनारक्षित मुक्त के लिए आरक्षित हुए।

पुसौर विकासखण्ड के 88 ग्राम पंचायतों में 7 पद अनुसूचित जाति महिला, 6 पद अनुसूचित जाति मुक्त, 9 पद अनुसूचित जनजाति महिला, 9 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त, 11 पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 11 पद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त, 18 पद अनारक्षित महिला तथा 17 पद अनारक्षित मुक्त के लिए आरक्षित किए गए। सारंगढ़ विकासखण्ड के 129 ग्राम पंचायतों में 22 पद अनुसूचित जाति महिला, 21 पद अनुसूचित जाति मुक्त, 9 पद अनुसूचित जनजाति महिला, 9 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त, 16 पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 16 पद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त, 18 पद अनारक्षित महिला तथा 18 पद अनारक्षित मुक्त के लिए आरक्षित किए गए। बरमकेला विकासखण्ड के 96 ग्राम पंचायतों में 8 पद अनुसूचित जाति महिला, 8 पद अनुसूचित जाति मुक्त, 10 पद अनुसूचित जनजाति महिला, 9 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त, 12 पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 12 पद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त, 19 पद अनारक्षित महिला तथा 18 पद अनारक्षित मुक्त के लिए आरक्षित किए गए। खरसिया विकासखण्ड के 81 ग्राम पंचायतों में 41 पद अनुसूचित जनजाति महिला, 40 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए आरक्षित किए गए।

विद्यार्थियों ने लगाई गणित और विज्ञान विषय पर मॉडल प्रर्दशनी

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय अविष्कार अभियान अंतर्गत रायगढ़ विकास खण्ड के 19 संकुल केन्द्रों के द्वारा गणित और विज्ञान विषय के प्रति रूचि जागृत करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा कबाड़ से जुगाड़ थीम पर गत दिवस विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इनमें इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित माडल को भी सम्मिलित किया गया था। इस अवसर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सी.के. धृतलहरे, प्राचार्य संतोष चंद्रा, लिबनुस तिर्की, नागेन्द्र आचार्य, डी.पी.पटेल, मनोज अग्रवाल, एस.के.पटेल और बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण शामिल हुए। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा बाढ़ नियंत्रण उपकरण, डस्ट और आयरन को पृथक करने वाला उपकरण,धन ऋण, गुणा, भाग हेतु विद्युत उपकरण आकर्षक रूप में बनाया गया था। 100 से अधिक बच्चों ने सहभागिता निभायी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480